

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 132-एक/2011-विरुद्ध आदेश दिनांक
29-11-2010 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, जबलपुर
संभाग, जबलपुर - प्रकरण क्रमांक 111/अ-76/10-11 अपील

घनश्याम जायसवाल पुत्र जगन्नाथ
बार्ड नं० 7 बालाघाट, जिला बालाघाट
विरुद्ध

---आवेदक

- 1- मध्य प्रदेश वित्त निगम
1108 पचपेढ़ी साउथ
सिविल लायन जबलपुर
- 2- श्रीमती मंदाकिनी पत्नि ज्ञानीराम
उर्फ ज्ञानू रत्नगिरे, निवासी कंकर
मुजारे के घर के सामने, बालाघाट
तहसील व जिला बालाघाट

--अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के०के०द्विवेदी)
(अनावेदक-1 के अभिभाषक श्री के.के.गोश्वामी)
(अनावेदक-2 के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 18-3-2016 को पारित)

अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण
क्रमांक 111/अ-76/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक
29-11-2010 के विरुद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व
संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारोश यह है कि म०प्र० वित्त निगम द्वारा



दिनांक 27-5-85 को छेदीलाल के लिये 30.00 लाख एवं 15-12-89 को 12.00 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया। यह ऋण जिला बालाघाट के ग्राम गायखुरी में हिम्मत टायर्स प्रा०लि० इकाई निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ। इकाई के मुख्य बकायादार छेदीलाल जायसवाल एवं घन्श्याम जायसवाल को बकायादार होने के कारण अतिरिक्त तहसीलदार (बसूली) म०प्र०वित्त विकास निगम जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 2 अ-46/04-05 दर्ज कर बकाया राजस्व की भौति वसूली हेतु नोटिस जारी किया, बकायादार द्वारा राशि जमा न करने के कारण उनकी संपत्ति नीलाम किये जाने की कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 9-5-2007 पारित किया गया तथा अनावेदक क्रमांक-2 बोलीदार की नीलामी बोली स्वीकार कर एक चौथाई राशि जमा करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी बालाघाट के समक्ष अपील क्रमांक 24/2007-08 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 28-2-2009 से स्वीकार की जाकर अतिरिक्त तहसीलदार (बसूली) म०प्र०वित्त विकास निगम जबलपुर का आदेश दिनांक 9-5-2007 निरस्त किया गया एवं प्रकरण पुनः कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक-1 ने अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील क्रमांक 111/अ-76/10-11 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 29-11-2010 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28-2-2009 निरस्त कर दिया तथा अपील अग्रह्य होने से निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुनना चाहे, किन्तु उनकी ओर से लेखी



बहस प्रस्तुत की गई है, जिनके अवलोकन के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों एवं लेखी बहस में अंकित तथ्यों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि बकाया वसूली हेतु जब अतिरिक्त तहसीलदार (बसूली) म०प्र०वित्त विकास निगम जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 2 अ-46/04-05 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की है, आवेदक एवं उसकी पत्नि अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष उपस्थित रहे हैं एवं उन्होंने अति०तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही का विरोध किया है जिस पर श्रीमती मधु जायसवाल की व्यक्तिगत संपत्ति को नीलामी कार्यवाही से उन्मुक्त कर दिया गया है। अतएव पाया गया कि अतिरिक्त तहसीलदार बसूली ने कुर्की एवं नीलामी की कार्यवाही विधि में विहित प्रक्रिया अपनाते हुये तथा पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हेतु की है। अति०तहसीलदार (बसूली) जबलपुर के आदेश दिनांक 9-5-2007 के विरुद्ध आवेदक ने सक्षम न्यायालय में एक वर्ष की समयवधि के भीतर वाद भी प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण अति०तहसीलदार का आदेश अंतिम हो चुका है। मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-8/सातशाखा-8/95 दिनांक 22-3-1996 के अनुसार म०प्र० वित्त निगम के सहायक ब्रांच मैनेजर को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 एवं 147 के अंतर्गत तहसीलदार की शक्तियों प्रदान की गई है और इन्हीं शक्तियों के अधीन अतिरिक्त तहसीलदार (बसूली) म०प्र०वित्त विकास निगम जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 2 अ-46/04-05 में कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 9-5-2007 पारित किया है और ऐसे आदेश के विरुद्ध वाद संस्थित न होने के कारण अपील का प्रावधान न होने से अपील



भी ग्राह्य नहीं है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी बालाघाट ने नियमों की अनदेखी करते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को ग्राह्य कर सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 28-2-09 से अपील स्वीकार करने में त्रुटि की गई है और ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेश को अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 111/अ-76/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-11-2010 से निरस्त करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 111/अ-76/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-11-2010 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

R
110



(एम०के०सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल, म०प्र०
ग्वालियर